

न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावड़ा

मु.नं. 3 तारीख रजू. 14-1-19 तारीख निर्णय. 28-1-19

आज पत्रावली व मुकाम तलावड़ा पेश हुई गैर सायल उपस्थित है/नहीं है

रिपोर्ट पटवारी ग्राम 22457 प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल

श्री मिथलेशी पुत्र श्री पति माया राम जाति शुर्कर

निवासी 22412 द्वारा आराजी खसरा नं. 469/300 रकवा 0.55

किस्म जमीन रियासत मौजा 22457 पर सम्बत् 20.25

में अतिक्रमण का काश्त कब्जा कर लिया है। गैर सायल को नियमानुसार धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम सन् 1956 संशोधित दिनांक 2/10/1975 के तहत नोटिस जारी बाद तामील शामिल किया गया। अतिक्रमी बाबजूद तामील के भी हाजिर नहीं हैं। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अतिक्रमी हाजिर है उसने कोई जबाब व सबूत पेश नहीं किया है अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा काश्त किया है उसको अतिक्रमी करार दिया जाता है।

अतः गैर सायल श्री श्री मिथलेशी की आराजी खसरा नं. 469/300

रकवा 0.55 मौजा 22457 से बेदखल किया जाता है लगान

दर 0.50 से उक्त रकवा के लगान 0.40 का 50

गुना से शास्ति 22 कायम की जाती है। बेदखली हेतु पटवारी को


लिखा जावे तथा आई.एल.आर. को आदेश जारी हो कि उक्त रकवे की खड़ी फसल को जब्त करे नीलामी कार्यवाही करें एवं फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृति पेश करें तथा राजस्व लेखाकार व पटवारी को जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर ही निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

रजिस्ट्रार को दे पृष्ठ सं. 91

रजिस्ट्रार को दे पृष्ठ सं. 22

दि. 1-2-19 को कायम किया

तहसील लेखाकार



नायब तहसीलदार

तहसील तलावड़ा